प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.04.2021 जनपद देवरिया।

थाना लार पुलिस द्वारा दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गये व्यक्ति का 10 हजार रूपये का चालान किया गया।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम/बचाव हेतु मास्क की चेकिंग की जा रही है, जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग के दौरान दिनांक-17.04.2021 से दिनांक 18.04.2021 तक बिना मास्क के पकड़े गये कुल 331 व्यक्तियों का 03 लाख 31 हजार रूपये का चालान किया गया। इसी क्रम में दिनांक 18.04.2021 को थाना लार पुलिस द्वारा लार कस्बे में मास्क चेकिंग के दौरान अमरजीत यादव पुत्र परमहंस यादव निवासी-महुई थाना-बरियारपुर जनपद-देवरिया द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किये जाने पर 1000/-रूपये का चालान करते हुए रसीद उपलब्ध कराया गया था। आज दिनांक 19.04.2021 को थाना लार पुलिस द्वारा लार कस्बे में मास्क चेकिंग के दौरान पुनः अमरजीत यादव पुत्र परमहंस यादव निवासी-महुई थाना-बरियारपुर जनपद-देवरिया द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया गया, जिसपर स्थानीय पुलिस द्वारा 10 हजार रूपये का चालान करते हुए उन्हें रसीद उपलब्ध कराया गया। उक्त अभियान जारी है तथा दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि मास्क का प्रयोग सदैव करें जो कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु बहुत ही आवश्यक है। जिसके द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जायेगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।